<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन कन्जूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लि0, द्वारा कमल सन्स, ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**057 / 09, 05.06.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन कन्जूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द्वारा कमल सन्स, ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 05.06.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Horlicks Nutribar ''पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 05.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि इनके द्वारा निर्माण व बिक्री किये जाने वाला Horlicks Nutribar मूलभूत रूप से मिष्ठान अथवा एक दुग्ध व चीनी उत्पाद है। इसमें विटामिन एवं खनिज मिलाया जाता है तथा यह उत्पाद प्राथमिक रूप से सीरप एवं पोषक तत्वों से बनाया जाता है जिसमें लिक्विड ग्लूकोज, चीनी, वसा, शहद एवं कन्डेन्स्ड दूध इत्यादि मिला होता है। यह भी कहा गया कि इस उत्पाद की प्रकृति से इसे milk product अथवा sweetmeat or sugar product के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-81 व 137 क्रमश: '' Milk Food & milk products..........'' तथा '' Sweetmeat Namkeen and Sugar Products '' के अन्तर्गत मानते हुए 4% की दर से करदेयता निर्धारित की जाय।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1121, दिनांक 30.06.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी के प्रोडक्ट Horlicks Nutribar के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि यह बाजार में प्रोविजन स्टोर में मिलता है और इसे चाकलेट के रूप में जाना जाता है। इसमें सिरियल एवं सिरियल प्रोडक्ट 47%, नमक, खाद्य तेल, माल्ट एक्सट्रेक्ट, ग्लूकोज, सुकोज, फुकटोज एवं मिल्क सालिड 12% तथा ग्लिसरीन, खाने योग्य सेट विटामिन, इडीबिल गम इत्यादि होते हैं। उपरोक्त मिश्रण के आधार पर यह milk एवं milk product तथा sweetmeat एवं sugar product की श्रेणी में नहीं आता है। यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने सी0 एस0 टी0 बनाम क्वालिटी रेस्टोरेन्ट (1979 यू0 पी0 टी0 सी0 1298) के वाद में यह निर्णय दिया है कि जो वस्तुएं दूध से निर्मित होती हैं वही दुग्ध उत्पाद है। अत: उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी द्वारा निर्मित Horlicks Nutribar उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की

....2

भाँति 12.5% की दर से करयोग्य है । यह भी अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा अपने इस उत्पाद को मासिक रूपपत्रों में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट मानते हुए 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है जो कि उचित है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा Horlicks Nutribar के सम्बन्ध में प्रेषित आख्या उचित प्रतीत होती है । आख्या में यह भी अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए रिटर्न दाखिल किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में यह प्राविधान है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, वही प्रश्न पूछा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही रिटर्न दाखिल करने से ही प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रार्थी द्वारा करदेयता स्वीकार करते हुए मासिक विवरण-पत्र जमा करने के कारण धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार, प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष करदेयता स्वीकार करते हुए मासिक रूपपत्र जमा किया जा रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के निर्णय में प्रतिपादित मत के आलोक में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है । अत: धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 12 फरवरी, 2014

ह0 / 12.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।